



संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

3

क्रमांक/सपें/आठ/बैंक-वसूली/2017/2593

भोपाल, दिनांक 18/01/2017

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
यूको बैंक, पर्यावास भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)

विषय :- पेंशनर/परिवार पेंशनर से अधिक भुगतान की वसूली करने के संबंध में ।

संदर्भ :- जिला कोषालय भोपाल का पत्र क्र0/पेंशन/जि0को0भो0/2016/1086 दिनांक

15.12.2016 (छायाप्रति संलग्न)

0000

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अबलोकन करें । उक्त के संबंध में आपका ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 35वें एस.ए.सी. की बैठक दिनांक 14.03.2016 के कार्यवाही विवरण (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । उक्त बैठक के बिन्दु क्र.5 में क्षेत्रीय संचालक, भारतीय रिजर्व बैंक श्री अजय मिचयारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की राशि बैंकों द्वारा म.प्र. शासन के खाते में एकमुश्त जमा की जाएगी, भले ही उक्त राशि की वसूली संबंधित पेंशनर्स से की गई हो अथवा नहीं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयान्तर्गत प्रकरण (यूको बैंक मालवीय नगर शाखा भोपाल) तथा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों से संबंधित राशि का तत्काल म.प्र. शासन के खाते में जमा कराने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देश देने का कष्ट करें ।

कृपया कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।

संचालक
17/1/17

पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

010 मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा0क्रमांक/सपें/आठ/2017/2594

भोपाल, दिनांक 18/01/2017

प्रतिलिपि :-1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड़, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

2.आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक/ऑडिट/2016/194, दिनांक 28.12.2016 के अनुक्रम में सूचनार्थ ।

3. उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, होशंगाबाद रोड़, भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ ।

4. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ इंडिया/पंजाब नेशनल बैंक/इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/देना बैंक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
17/1/17

पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा

010 मध्यप्रदेश, भोपाल